

Mobile court

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF.....J.M.F.C. Gohad, DIST. BHIND (M.P.)

Case No. 192/17 ^{के. गुप्ता} Complainant or report made on

Name and address of the Complainant ^{नाथिक मजिस्ट्रेट कार्यालय} ^{डि. गौहड}

Name, parentage, caste and address of accused

अखिलेश पुत्र काबूलाल गौड़ उम्र-33 साल नि. वार्ड नं. 12 गौहड

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आपने दिनांक 23.09.17 को समय लगभग 1:00 बजे, स्थान
गोलम्ब पतिराहा अंतर्गत थाना गौहड में वाहन क0
MP30BC0726 को बिना परमिट की शर्तों का उल्लंघन के चलाया और
इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा
66/192A MV ACT के तहत दण्डनीय अपराध है और इस
न्यायालय के संज्ञान में आता है।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिष्ठा चाहते हो।

Judicial Magistrate First Class

The plea of the accused and his examination (If any) Gohad dist. Bhind (M.P.)

अपराध स्वेच्छया स्वीकार है।

अखिलेश गौड़

Judicial Magistrate First Class
Gohad dist. Bhind (M.P.)

The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

// निर्णय //

(आज दिनांक 23.09.17 को घोषित)

(2)

मोटर मालिक का नाम
मोटर ड्राइवर का नाम

01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 A M.V. Act के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी आबिलेश 310 वाबूलाल गोड उम्र 33 नि. बर्द्धन 12 गोड को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 A M.V. Act के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए क्रमशः राशि रुपये कुल दो हजार रुपये रु० (2000/-) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 10 दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।

04. जप्तबुदा सम्पत्ति वाहन को MP 30BC 0726 को उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये।

मेरे निर्देशन पर टंकित

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt. Bhind (M.P.)